

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 19]

नई दिल्ली, जून 11—जून 17, 2017, शनिवार/ज्येष्ठ 21—ज्येष्ठ 27, 1939

No. 19]

NEW DELHI, JUNE 11-JUNE 17, 2017, SATURDAY/ JYAISTHA 21-JYAISTHA 27, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 2017

का.नि.आ. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और फोटोग्राफिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन फोटोग्राफर), (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी ॥ के पद से है, को उन बातों के सिद्याय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग में निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन फरने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना : ये नियम इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

so h

12.22 12.22

3541 GI/2017

(223)

### (रक्षा विभाग)

### (सीमा सड़क विकास मंडल)

# नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.नि.आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (निदेशक (प्रशासन) तथा संयुक्त निदेशक (प्रशासन)) भर्ती नियम, 2003 तथा साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (गैर-तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, सीमा सड़क संगठन में (प्रशासनिक कैडर) समूह क' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, प्रशासनिक अधिकारी कैंडर, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. लागू होना ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता : वह व्यक्ति :-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

## उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अन्सूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर		सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक (प्रशासन)	<ul><li>2• (2017)</li><li>कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</li></ul>		100000000000000000000000000000000000000	चयन	लागू नहीं होता

व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	हो	यदि कोई	मर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधं होगी या प्रोन्नति द्वारा य प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वार तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्त जाने वाली रिक्तियों क्ष प्रतिशतता
7	8	9		10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं हे	ाता -	प्रोन्नति द्वारा

दशा म व श्राणया जिनसं प्रान्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते किन परिस् संघ लोव आयोग से किया जाएग	थतियों में ह सेवा परामर्श
11	12	13	
की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'एफ' या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकंडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।  टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अईक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के लिए) निम्निलिखित से मिलकर बनेगी:-  1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष  2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल - सदस्य	गंघ जोव	र्ग सेवा परामर्श
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।			

1	2	3	4	5	6
थ्य. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	19• (2017) • कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 12	चयन	लागू नहीं होता

/	8	9 .	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नित : ऐसे विरष्ठ प्रशासिनक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सिचवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सिचवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'ई' या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकेडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे किनेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे	लिए विचार करने के लिए) नि मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल 3. महानिदेशक, सीमा सड़क	म्नलिखित से	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यव नहीं है।

परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	
या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	
आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	
कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	
व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा	
पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में	
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

1	2	3	4	5	6
<ol> <li>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी</li> </ol>		साधारण केन्द्रीय सेवा. समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, व 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

11	12		13
प्रोन्नित : ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'डी'	विचार करने के लिए) निम्नलिखित बनेगी:—	से मिलकर	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय
या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकेडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।		– अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
टिप्पण — जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी		– सदस्य	
विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1947(1 190)	– सदस्य	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविद भी है) : केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या वैधानिक य	T T		

स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो:-

- (क) (1) मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद घारण किए हुए हों ; या
  - (11) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 या समकक्ष के वेतनमान में मूल काडर/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हों;
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं व अनुभव रखते हों :-
  - (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
  - (।।) प्रशासन व स्थापना, नकदी व लेखा, कार्य तथा खरीद की हैण्डलिंग, आपूर्ति व स्टोर प्रबंधन सहित, के क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्य अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोत्रति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यय पद पर प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा भी शामिल) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5	6
4.प्रशासनिक अधिकारी		1	रतर 10	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथित की जा सकती है)।  टिप्पण:— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमालच प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी—उपखंड, अंडमान और निकोबा द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
अनिवार्यः (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक। (11) सरकारी कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ वैधानिक संस्थान में लेखा, प्रशासन व स्थापना कार्यों में 3 वर्ष का अनुभव।	आयु — नहीं। शैक्षिक योग्यता — हां।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व प्रोन्नत होने वालों के लिए दो वर्ष।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, व ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
वांछनीयः कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर/ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।			
टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए, शिथिल की जा सकती है।	,		

11	12	13
टेप्पण — जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के नंबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता नेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार केया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्य 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल — सद 3. रक्षा मंत्रालय में सीमा सड़क संगठन के कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव — सव 4. महानिदेशक, सीमा सड़क — सम्मूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति निम्निलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल — अ 2. उप—महानिदेशक कार्मिक, सीमा सड़क महानिदेशालय — स 3. निदेशक अथवा उप—सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल — र	स्य दस्य जो ध्यक्ष दस्य
(क) (1) मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद घारण किए हुए हैं ; या (11) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर १ के वेतनमान में मूल काडर य विभाग में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो ; या	T T	

(।।।) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो , और

(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं व अनुभव रखते हों।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणत्या 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

[फा. सं. बी.आर.डी.बी. / 01 / 1029 / 2010 / जीई – 1(पीसी – 03) / 263 / 2017 / रक्षा नियुक्तियाँ ]

दलपत सिंह, अवर सचिव

#### (DEPARTMENT OF DEFENCE)

(BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD)

New Delhi, the 6th June, 2017

- S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Reserve Engineer Force Director (Administration) and Joint Director (Administration) Recruitment Rules, 2003 and General Reserve Engineer Force (Non-Technical Officers) Recruitment Rules, 2003. except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts (Administrative Cadre) in the Ministry of Defence, General Reserve Engineer Force, Border Roads Organisation, namely:-
- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Border Roads Organisation, General Reserve Engineer Force, Administrative Officer Cadre, Group 'A' posts, Recruitment Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, Classification and Level in the Pay Matrix The number of said posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.		Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director     (Administration)	2* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	Level 13	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Joint Director (Administration) in Level 12 in the Pay Matrix with five years' regular service in the grade and has successfully completed training of level 'F' for Central Secretariat Service Officers or Equivalent from Institute of Secretariat Training and Management, Delhi or Training in the training academy or school of Border Roads Organisation.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for	Group 'A' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion) consisting of:-  1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman  2. Secretary, Border Roads Development Board - Member  3. Director General Border Roads - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(1)	(2).	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Joint Director (Administration)	19* (2017)  *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	Level 12	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	

(11)	(12)	(13)
Promotion:  Senior Administrative Officer in Level 11 in the Pay Matrix with five years' regular service in the grade and has successfully completed training of the level 'E' for Central Secretariat Service Officers or Equivalent from Institute of Secretariat Training and Management, Delhi or Training in the training academy or school of Border Roads Organisation.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Group 'A' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion) consisting of:  1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman  2. Secretary, Border Roads Development Board - Member  3. Director General Border Roads - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Administrative Officer.	56* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Level 11	Selection	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	50% by promotion, and 50% by deputation (including short-term contract)
	(-/	

(11)	(12)		(13)
Promotion: Administrative Officer in Level 10 in the Pay Matrix with five	Group 'A' Departmental Promotion considering promotion) con	Committee, (for nsisting of:-	Consultation with Union Public Service
years' regular service in the grade and has successfully completed training of the level 'D' for Central Secretariat Service Officers or Equivalent from Institute of Secretariat Training and Management, Delhi or Training in the training	Secretary, Border Roads     Development Board      Deputy Director General     (Personnel), Directorate General     Border Roads      Director or Deputy Secretary,	-Chairman -Member	Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contrac).
academy or school of Border Roads Organisation.	Border Roads Development Board	-Member	
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered			
provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have			
successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such			
qualifying or eligibility service.  Deputation (including short-	- 3		
term contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector			
Undertaking or Semi- Government or Statutory or Autonomous Organisations :-		4	
(A) i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; OR	**		
ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 in the Pay Matrix or Equivalent in the parent cadre/Department; and			
(B) possessing the following Educational Qualifications and Experience:- (i) Degree from a recognised University. (ii) Five years' working			

experience in the field of administration and establishment including handling of cash and accounts, works and purchase, supply and management of stores.

accounts, works and purchase, supply and management of stores.	
Note 1: The Departmental Officers in the feeder category	
who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for	
appointment on deputation or absorption. Similarly,	
deputationists shall not be eligible for consideration for	£
appointment by promotion.	
Note 2: Period of deputation (including short-term contract)	
including period of deputation	
(including short-term contract) in another ex-cadre post held	
immediately preceding this appointment in the same or some	C Part
other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not	
to exceed four years. The	
maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract)	
shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Administrative Officer.	53*. (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Level 10.	Selection.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:  (i) Degree from a recognised University/Institute.  (ii) Three wassel approximate of Assertation.		for direct	50% by promotion failing which by
(ii) Three years' experience of Accounts, Administration and establishment work in a		recruits and	Deputation, 50% by Direct

Government Office/Public Sector Undertaking/Autonomous Body/ Statutory Body.  Desirable:  Master's of Business Administration/Post Graduate Diploma in Management.		promotees.	Recruitment.
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	-		
Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

(11)	(12)	(13)	
Promotion: Assistant Administrative Officer in Level 7 in the Pay Matrix with three years regular service in the Grade and successfully completed training of four weeks in the field of administration, establishment and accounts.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation:	Group 'A' Departmental Promotion 'A' Departmental Committee:  1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman  2. Secretary, Border Roads Development Board -Member  3. Joint Secretary dealing with the Border Roads Organisation in the Ministry of Defence - Member  4. Director General Border Roads - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.	
Officers under the Central/State Governments/Union Territories;  (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or	Group 'A' Departmental Confirmation Committee:  1. Secretary, Border Roads Development Board - Chairman		
<ul> <li>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</li> <li>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and</li> </ul>	Deputy Director General (Personnel), Directorate General Border Roads - Member     Director or Deputy Secretary, Border Roads Development Board - Member		
(B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.		arced femile	

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[F. No. BRDB/01/1029/2010/GE-1(PC-03)/ 263/RR/2017/D(Apptts.)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

## नई दिल्ली, 8 जून, 2017

का.नि.आ. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, ऑफसेट मशीनमैन और परिचर (रोमेयर)/परिचर (ऑफसेट मशीन), भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध ऑफसेट मशीनमैन के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन में ऑफसेट मशीनमैन के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वाय सेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, ऑफसेट मशीनमैन भर्ती नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरईता : वह व्यक्ति,–
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है. उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति :—इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।